

सोहनलाल पिता शंकरलाल जायासवाल निवासी पारलिया तह0 बड़ीसादड़ी
- वादी

॥ बनाम ॥

1- उंकारलाल पिता रामलाल जायासवाल निवासी पारलिया तह0 बड़ीसादड़ी
2- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटव प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बंटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा पारलिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- सोहनलाल पिता शंकरलाल जायासवाल सा. देह

आ.न.	रकबा	लगान
643	0.15	3.90
645	0.25	6.50
646 / 1	0.44	11.14
668	0.22	1.54
684	0.06	-
5	1.12	23.08


2- मुन्नाबाई पत्नि रामेश्वरलाल जायसवाल सा. देह

आ.न.	रकबा	लगान
109	0.33	2.31
111	0.69	4.83
622	0.24	1.68
646 मी.	0.87	22.92
677	0.12	-
5	2.25	31.74

आ.नं. 683 रकबा 0.04 पुर्वानुसार शामलाती रहेगा।

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 18.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।




जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी